न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :– 16/2019

दायर दिनांक :– 31.05.2019

अनवान

1. रफीक मोहम्मद पिता अलादीन नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकंला
2. उमराव पिता अलादीन नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकंला
3. खातून पिता अलादीन नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाडा

वादीगण.........

बनाम

1. मोहम्मद हुसैन पिता मीराबक्श नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकंला
2. सलीम पिता मीराबक्श नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकंला
3. इरफान पिता मीराबक्श नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला
4. जुबैदा पुत्री मीराबक्श नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला
5. लाली पुत्री मीराबक्श नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला
6. मुस्कान पुत्री माफिया पुत्री मीराबक्श नीलगर नाबालिग जरिये संरक्षक आरिफ पिता पीर मोहम्मद निवासी नई आबादी आगुंचा रोड, हुरडा तहसील हुरडा
7. अनस पुत्र माफिया पुत्री मीराबक्श नीलगर नाबालिग जरिये संरक्षक आरिफ पिता पीर मोहम्मद निवासी नई आबादी आगुंचा रोड, हुरडा तहसील हुरडा
8. जन्नती पत्नि मीराबक्श नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला
9. मकबूल पिता खाजू नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला
10. जैतून पुत्री खाजू नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकंला
11. जन्नती पत्नि खाजू नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकंला
12. घीसु पिता अलादीन नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला
13. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा कोठिया जिला भीलवाडा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री विष्णुदत्त शर्मा, वकील वादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 11.09.2025

वादीगण का वाद पत्र संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी जारी की गई थी जिसके अनुसार तहसीलदार फुलियाकलां को आदेश दिया गया था कि ग्राम कोठिया पटवार हल्का कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा की कृषि आराजी खसरा संख्या 100, 101, 831, 832, 2764, 2767, 3095/4207, 3096, 3097 कुल किता 09 रकबा 2.88 हैक्टेयर में वादीगण प्रतिवादी सं. 1 से 12 के मध्य राजस्व रेकार्ड में

हक हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मीट्स एण्ड बाउण्ड के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे, जिसकी पालना में तहसीलदार फुलियाकलां को लिखा गया।

तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा जरिये पत्र दिनांक 09.07.2024 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरूद्व पूर्व मे एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादीगण भी सहमत है। मेरी विनम्र राय में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी जारी किया जाना उचित है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कोठिया पटवार हल्का कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा की कृषि आराजी खसरा संख्या 100, 101, 831, 832, 2764, 2767, 3095/4207, 3096, 3097 कुल किता 09 रकबा 2.88 हैक्टेयर का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) अनुसार बंट में रखी जाकर बंटवारा स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार पृथक–पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम किया जावें। तहसीलदार मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। उक्त भूमि को श्रीमान् शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर, दिनांक 30.09.2021 के निर्देशानुसार रास्ते के रूप में नक्शे दिखाने के साथ–साथ राजस्व रिकॉर्ड में भी उसे अलग नम्बर दिया जाकर उसका क्षेत्रफल अंकित करते हुए राजस्व अभिलेख में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावें। यदि यह रास्ता आगे किसी सार्वजनिक रास्ते पर खुलता/मिलता हो तो उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में अभिलेख में दर्ज किया जावें। तहसीलदार फुलियाकलां, वादीगण द्वारा नियमानुसार बंटवारा स्टॉम्प शुल्क जमा करवाये जाने पश्चात् निर्णय अनुसार अमल दरामद किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां (भीलवाडा)

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — फूलियाकलां (भीलवाडा)

ब ईजलास — श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस

अनवान

1. रफीक मोहम्मद पिता अलादीन नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकंला
2. उमराव पिता अलादीन नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकंला
3. खातून पिता अलादीन नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाडा

वादीगण.........

बनाम

1. मोहम्मद हुसैन पिता मीराबक्श नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकंला
2. सलीम पिता मीराबक्श नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकंला
3. इरफान पिता मीराबक्श नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला
4. जुबैदा पुत्री मीराबक्श नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला
5. लाली पुत्री मीराबक्श नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला
6. मुस्कान पुत्री माफिया पुत्री मीराबक्श नीलगर नाबालिग जरिये संरक्षक आरिफ पिता पीर मोहम्मद निवासी नई आबादी आगुंचा रोड, हुरडा तहसील हुरडा
7. अनस पुत्र माफिया पुत्री मीराबक्श नीलगर नाबालिग जरिये संरक्षक आरिफ पिता पीर मोहम्मद निवासी नई आबादी आगुंचा रोड, हुरडा तहसील हुरडा
8. जन्नती पत्नि मीराबक्श नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला
9. मकबूल पिता खाजू नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला
10. जैतून पुत्री खाजू नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकंला
11. जन्नती पत्नि खाजू नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकंला
12. घीसु पिता अलादीन नीलगर निवासी कोठिया तहसील फुलियाकला
13. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा कोठिया जिला भीलवाडा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत — 53, 183 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :— 16 / 2019

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री विष्णुदत्त शर्मा का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कोठिया पटवार हल्का कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा की कृषि आराजी खसरा संख्या 100, 101, 831, 832, 2764, 2767, 3095/4207, 3096, 3097 कुल किता 09 रकबा 2.88 हैक्टेयर का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) अनुसार बंट में रखी जाकर बंटवारा स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार पृथक–पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम किया जावें। तहसीलदार मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। उक्त भूमि को श्रीमान् शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर, दिनांक 30.09.2021 के निर्देशानुसार रास्ते के रूप में नक्शे दिखाने के साथ–साथ राजस्व रिकॉर्ड में भी उसे अलग नम्बर दिया जाकर उसका क्षेत्रफल अंकित करते हुए राजस्व अभिलेख में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावें। यदि यह रास्ता आगे किसी सार्वजनिक रास्ते पर खुलता/मिलता हो तो उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में अभिलेख में दर्ज किया जावें। तहसीलदार फुलियाकलां, वादीगण द्वारा नियमानुसार बंटवारा स्टॉम्प शुल्क जमा करवाये जाने पश्चात् निर्णय अनुसार अमल दरामद किया जावें।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.09.2025